

मूल वाद में (अन्तिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं
पीठासीन अधिकारी :- राजेन्द्र कुमार, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.- 25/2021

निर्णय दिनांक :- 01-12-2022

बालुसिंह वगै० बनाम सन्तोष वगै०


दावा बाबत खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की ओर से श्री सन्दीप मान एड० व प्रतिवादीगण की ओर से श्री सुनिल कुमार शर्मा एड० की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 01.12.2022 को राजेन्द्र कुमार, उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

“ न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि खेत हाल खसरा न० 110 रकबा 1.76 है, ख०न० 138 रकबा 3.62, ख०न० 139 रकबा 3.16 है०, ख०न० 161 रकबा 2.96 है०, ख०न० 380/103 रकबा 0.12 है०, ख०न० 381/103 रकबा 0.60 है०, ख०न० 392/103 रकबा 0.20 है, 395/54 रकबा 0.06 है० ख०न० 396/103 रकबा 0.41 है०, ख०न० 407/252 रकबा 0.10 है०, ख०न० 48 रकबा 5.11 है०, ख०न० 57 रकबा 0.04 है०, ख०न० 58 रकबा 3.82 है० ख०न० 77 रकबा 2.27 है० कुल किता 14 कुल रकबा 24.23 है एवं ख०न० 373/77 रकबा 1.83 है० स्थित ग्राम मोरवा में विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वाद वादीगण डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार ही तहसीलदार सूरजगढ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। “

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 01.12.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


(राजेन्द्र कुमार)

उपखण्ड अधिकारी

पदेन उप जिला कलक्टर

सूरजगढ

